अध्याय – 3

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

परिचय और उद्देश्य

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विकासीय कार्यों का मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। सतत् विकास को प्राप्त करने के लिए इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पर्यावरणीय सरोकारों को विकासीय कार्यों में एकीकृत किया जाए। नदी घाटी परियोजनाओं के साथ वर्ष 1978–79 में पयार्वरणीय प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की गई थी और अन्य लगभग 39 कार्यकलापों में विस्तारित हो गई हो। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को निर्धारित करने वाल मुख्य वैधानिक अधिनियम पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 और तटीय विनियमय क्षेत्र (सी आर जेड) अधिसूचना 1991 हैं।

किए गए कार्यकलापों की प्रगति

वर्ष के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 1994 के साथ पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 प्रचालित है। वर्ष 2007 (अप्रैल 2006–दिसम्बर 2007) के दौरान प्रोसैस की गई परियेजनाओं का विवरण तालिका 9 में दिया गया है। **तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना**

सारणी 9. प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे

वर्ष	प्रारंभ में लंबित प्रस्तावों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	पर्यावरण मंजूरी प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	टर्म्स ऑफ रेफरेंस अवार्ड किए गए प्रस्तावों की संख्या	अस्वीकृत, स्वीकृत, छूट प्राप्त, वापस लिए गए प्रस्तावों की संख्या
2007-2008 (अपैल-दिसम्बर)	1836	3533	1412	880	579

– अप्रैल –दिसम्बर 2007 के दौरान सेक्टरवार प्रदत्त मंजूरी 10 में दी गई है।

तालिका 10. वर्ष के दौरान प्रदत सेक्टर वार मंजूरी

क्रम संख्या	कार्य	पर्यावरण मंजूरी प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	विचारार्थ विषय प्रदत्त प्रस्तावों की संख्या
1.	उधोग	371	316
2.	ताप विद्युत	77	130
3.	नदी धारी और हाइड्रोइलेक्ट्रिक	22	26
4.	खनन	335	398
5.	अवसंरचना और विविध	107	-
6.	निर्माण परियोजनाएं	500	10
	कुल	**1412**	**880**

– तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 के कार्यान्वयन संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार करते हुए सरकार ने जून, 2004 में समीक्षा हेतु प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सिफारिशों सहित प्रस्तुत की जिसे मंत्रालय ने अप्रैल, 2005 में स्वीकृत कर दिया।

– समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने सीएमजैड अधिसूचना का प्रारुप तैयार किया है। इस प्रारुप पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व विचारविमर्श किया गया। प्राप्त हुए सुझावों के आधार पर अधिसूचना के प्रारुप को अंतिम रुप दिया जा रहा है।

– इसके अलावा मंत्रालय ने एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन जिसमें तटीय क्षेत्र के निकट वल्नरेबिलिटी लाइन की मैपिंग, कोस्टल इकोलॉजिकल सेंसिटिव क्षेत्रों की मैपिंग, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण आदि शामिल हैं, के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक से सहायता मांगी है। पायलेट स्केल पर वल्नरेबिलिटी लाइन के सीमांकन के लिए 6 साइट्स की पहचान की है ओर कार्य प्रगति पर है।

मानीटरिंग

– विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरणीय मंजूरी हेतु अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए छः क्षेत्रीय कार्यालयों तथा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा मानीटरिंग की जाती है। मानीटरिंग रिपोर्टों के आधार पर पर्यावरण प्रबंध प्रणालियों में सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान इंटरएक्टिव बैठकें भी आयोजित की गई। पर्यावरण परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित क्रोस सैक्टोरल मामलों का सुकर बनाने हेतु इसके प्रस्तावक भुवनेश्वर, लखनऊ, मुंबई और जयपुर में है।

चित्र 33. कन्याकुमारी में तटीय अपरदन की रोकथाम